न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर (आरएएस)
प्रकरण सख्या:—96/15 दायर दिनांक:— 07.10.2015

जीसीएमएस नं. 2016/00458

1. बनै सिंह पुत्र श्री हण्डू, जाति जाट निवासी ग्राम खरैटा, तहसील हिण्डौन जिला करौली राज0
2. बाबू सिंह पुत्र श्री हण्डू, जाति जाट निवासी ग्राम खरैटा, तहसील हिण्डौन जिला करौली राज0

——वादीसायल

बनाम

1. केहरी पुत्र किशन जाति जाट, निवासी— ग्राम खरैटा, तहसील हिण्डौन जिला करौली राज0
2. बबलू पुत्र गारमल जाति जाट, निवासी— ग्राम खरैटा, तहसील हिण्डौन जिला करौली राज0
3. पवन पुत्र गारमल जाति जाट, निवासी— ग्राम खरैटा, तहसील हिण्डौन जिला करौली राज0
4. चिम्मन पुत्र गारमल जाति जाट, निवासी— ग्राम खरैटा, तहसील हिण्डौन जिला करौली राज0
5. हाकिम पुत्र भरती जाति जाट, निवासी— ग्राम खरैटा, तहसील हिण्डौन जिला करौली राज0
6. जगवीर पुत्र केहरी जाति जाट, निवासी— ग्राम खरैटा, तहसील हिण्डौन जिला करौली राज0
7. एस. एच. ओ. पुलिस थाना सदर हिण्डौन।
8. विजय सिंह छोकर ए.एस.आई. पुलिस थाना हिण्डौन सदर।

——प्रतिवादीगण गैरसायल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित — 1.श्री हरि वल्लभ चतुर्वेदी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. अप्रार्थीगण 1 लगायत 8 के विरुद्ध एक पक्षीय कारवाई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gu
Date: 2024.09.25 11:59:13 IS
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक 28.03.2024

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा न0 974 रकबा 26 ऐयर, खसरा न0 975 रकबा 45 ऐयर, खसरा न0 977 रकबा 20 ऐयर, खसर न0 1510 रकबा 14 ऐयर, खसरा न0 946 रकबा 72 ऐयर, खसरा न0 947 रकबा 1 ऐयर गैर मुमकिन चाह, खसरा न0 1264 रकबा 4 ऐयर, खसरा न0 1266 रकबा 59 ऐयर वाकेतन ग्राम खरैटा, तहसील हिण्डौन स्थित है, जिसके सायलान 2/3 हिस्से के प्रतिवादी संख्या 9 1/3 हिस्से के खातेदार टीनेन्ट है तथा मौके पर इसी अनुसार

काबिज रहकर उक्त आराजी का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं तथा लगान सरकारी अदा करते चले आ रहे हैं। गैरसायल संख्या 1 ता 6 या अन्य किसी दीगर व्यक्ति का उक्त आराजीयात से कोई संबंध एवं वास्ता नहीं है। गैरसायल संख्या 9 ने उक्त आराजीयात पर गैरसायल संख्या 10 के यहां से अपने 1/3 हिस्से पर किसान क्रेडिट कार्ड बनवा रखा है, इसलिए उक्त आराजीयात का 1/3 हिस्सा गैरसायल संख्या 10 के यहां रहन मुर्तहन दर्ज है।

गैरसायल संख्या 1 ता 6 ने सायलान के विरूद्ध एक गिरोह बना रखा है, जिसमें गैरसायल संख्या 7 व 8 को भी अपने साथ मिला रखा है। गैरसायलान 1 ता 8 सायलान को आराजीयात मुतजिक्रा मद न0 2 प्रार्थना पत्र में उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त में आये दिन बाधा उत्पन्न करते हैं। सायलान को उक्त आराजी में काश्त करने से रोकते हैं। सायलान वृद्ध है। सायलान अपनी उक्त आराजीयात को काश्त करवाने किराये का ट्रेक्टर लेकर आते हैं तो गैरसायल संख्या 1 ता 8 ट्रेक्टर वाले को धमका कर भगा देते हैं। सायलान किसी अन्य ट्रेक्टर वाले को लेकर आते हैं तो उसे भी भगा देते हैं। सायलान की उक्त आराजीयात में गत फसल आषाढ़ माह में भी काश्त नहीं कर सके तथा अब भी गैरसायल संख्या 1 ता 8 द्वारा सायलान को रोका जा रहा है जिसके कारण सायलान का परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है। सायलान को भोजन के लिए अन्न व मवेशियों के लिए चारे की भारी कमी व किल्लत पैदा हो गयी है। सायलान की मोटर जो चाह खसरा न0 947 में लगी हुई थी जिसके खराब होने पर सायलान ने मिस्त्री बुलाकर उसे ठीक करवाया एवं उसे पुनः कुए में लगवा रहे थे तो गैरसायल संख्या 1 ता 8 ने मौके पर आकर मिस्त्री को धमकाकर सायलान के कुए से भगा दिया जिसके कारण सायलान को व सायलान के मवेशियों के पीने व मवेशी को पिलाने तथा सिंचाई के पानी की भारी समस्या हो गई है।

गैरसायल संख्या 1 ता 8 को सायलान को सायलान की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि के उपयोग उपभोग कब्जे काश्त में मजाहत मदाखलत करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। गैरसायल संख्या 1 ता 8 ने सायलान को एलानियां धमकी दी है कि वे सायलान को उनकी खातेदारी की भूमि में काश्त नहीं करने देंगे तथा सायलान को इतना अधिक हैरान व परेशान करेंगे कि सायलान को गांव छोड़ने के लिये मजबूर होना पडेगा। गैरसायल संख्या 1 ता 6 ने दिनांक 06.08.15 सायलान व सायलान के परिवारजन की संगीन मारपीट भी की थी जिसका मुकदमा एफ.आई.आर. न0 380/15 अन्तर्गत धारा 143, 323, 341, 452, 379, 354 आई.पी.सी. का सायल स0 2 ने थाना हिण्डौन सदर पर दर्ज करवाया था, उक्त मुकदमें में गैरसायलान के विरूद्व चार्जशीट भी न्यायालय ए.सी.जे. न0 1 हिण्डौन में पेश हो चुकी है फिर भी गैरसायल स.0 1 ता 6 अपनी बेजा हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। सायल स0 2 ने एक इस्तगासा अन्तर्गत धारा 107, 116(3) जा.फौ. माननीय न्यायालय में पेश कर रखा है फिर भी गैरसायल संख्या 1 ता 6 आये दिन सायलान से झगडा फसाद कर आम शांति भंग करते रहते हैं।

गैरसायल संख्या 7 व 8 ने गैरसायल संख्या 1 ता 6 शह दे रखी है जो पुलिस के इशारे पर सायलान को परेशान करते है एवं सायलान को आराजीयात मुतजिक्रा मद न0 2 प्रार्थना प0 में से काश्त करने से रोकते हैं। सायलान का प्रथम दृष्टया केस बखूबी साबित है, सुख सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष में साबित है, अपूर्णीय क्षति का बिन्दू सायलान के पक्ष में साबित है जबकि गैरसायलान को पाबंद किये जाने से उन्हें कोई क्षति नहीं है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला दावा इस अमर से पाबंद फरमाया जावे कि वे सायलान को [illegible] खसरा न0 974 रकबार 26 ऐयर, खसरा न0 975 रकबा 45 ऐयर, खसरा न0 977 रकबा [illegible] ऐयर, [illegible] न0 1510 रकबा 14 ऐयर, खसरा न0 946 रकबा 72 ऐयर, खसरा न0 947 रकबा [illegible] चाह, खसरा न0 1264 रकबा 4 ऐयर, खसरा न0 1266 रकबा 59 ऐयर [illegible], तहसील हिण्डौन में से सायलान के 2/3 हिस्से के उपयोग उपभोग एवं कब्जे काश्त में [illegible] प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करे, ना ही किसी अन्य से करावें, सायलान को उक्त आराजी से बेदखल नहीं करे तथा ऐसा कोई कृत्य नहीं करे जिससे सायलान के अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव पडे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायल की तलवी हेतु सम्मन जारी किये गये गैरसायलान की वाद तामील नोटिस प्राप्त हुए जो शामिल पत्रावली किये गये, गैरसायलान बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं होने पर आदेशिका दिनांक 21.3.2024 द्वारा गैरसायलान के खिलाफ एक पक्षीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurja
Date: 2024.09.25 11:59:16 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित नहीं होने पर आदेशिका दिनांक 21.3.2024 द्वारा गैरसायलान के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में सायलान वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई, सायलान वकील द्वारा अपनी बहस में प्रार्थनापत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया गया एवं प्रार्थनापत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रकरण में सायलान अधिवक्ता एक पक्षीय बहस पर मनन किया, पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया तो हम इस नतीजे पर पहुँचे कि उक्त विवादित आराजी की खातेदारी की भूमि से गैरसायलान का संलग्न दस्तावेजों जमावंदी संवत 2070–73 के, खाता संख्या 167 व 168 के आधार पर कोई संबंध व ताल्लुक नहीं है, तथा उभयपक्ष की दौरानेदावा पेचीदिगियां पैदा नहीं हो, मौके की स्थिति में परिवर्तन एवं अनावश्यक वादकरण बढ़ने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में दिनांक 07.10.2015 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल दावे के ता फैसला होने तक स्वीकार किया जाता है। उभयपक्ष विवादित आराजी की मौका की यथास्थिति ता फैसला बनाए रखें।

आदेश आज दिनांक 28.03.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 28/03/24
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन, जिला करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2024.09.25 11:39:13 IST
Reason: SelfAttested